कार्यालय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासन के पत्र संख्या–955/15–7–2025 दिनांक 30 जुलाई, 2025 के माध्यम से संस्थाओं द्वारा मान्यता हेतु आवेदन किये जाने सम्बन्धी पोर्टल पर माध्यमिक शिक्षा परिषद के विनियमों के अध्याय–सात(परिषद द्वारा संस्थाओं की मान्यता) के विनियम–3(क), 3(ख)(1), 3(ख)(2), 3(ख)(3), 4(क)(4), 5(20) एवं 5(20)(अ) में निर्धारित तिथियों के क्रम में सत्र 2025–2026 हेतु मान्यता आवेदन की तिथियों में निम्नवत् संशोधन किया गया है :–

वर्तमान व्यवस्था	सत्र 2025–26 हेतु संशोधित व्यवस्था
3–(क) हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट के द्विवार्षिक परिषदीय सत्र हेतु मान्यता प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र विहित प्रपत्र पर (मान्यता हेतु निर्धारित शुल्क के साथ) आवेदन सम्यक रूप से वांछित प्रमाण–पत्रों सहित आन लाइन भरा जायेगा। आन लाइन आवेदन पत्र उस वर्ष के लिये जिसमें कक्षाओं को खोलने की प्रस्तावना हो, के पूर्ववर्ती वर्ष की 01 अप्रैल से 15 मई (बिना विलम्ब शुल्क के) तक स्वीकार किया जायेगा। 16 मई से 31 मई तक आवेदन पत्र विलम्ब शुल्क के साथ आन लाइन स्वीकार किये जायेंगे। 31 मई के पश्चात् कोई आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जायेगा।	3–(क) हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट के द्विवार्षिक परिषदीय सत्र हेतु मान्यता प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र विहित प्रपत्र पर (मान्यता हेतु निर्धारित शुल्क के साथ) आवेदन सम्यक रूप से वांछित प्रमाण–पत्रों सहित आन लाइन भरा जायेगा। आन लाइन आवेदन पत्र उस वर्ष के लिये जिसमें कक्षाओं को खोलने की प्रस्तावना हो, के पूर्ववर्ती वर्ष की 01 अप्रैल से 15 मई (बिना विलम्ब शुल्क के) तक स्वीकार किया जायेगा। **15 अगस्त तक** आवेदन पत्र विलम्ब शुल्क के साथ आन लाइन स्वीकार किये जायेंगे। **15 अगस्त** के पश्चात् कोई आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जायेगा।
(ख) जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आन लाइन प्राप्त आवेदन पत्रों पर निम्नांकित तिथियों के अनुसार मान्यता के आवेदन–पत्रों की सूची, जिसमें विद्यालय का नाम, आवेदित परीक्षा वर्ष तथा हाईस्कूल नवीन अथवा सीधे एवं इण्टर नवीन/वर्ग/विषय का उल्लेख हो, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय सचिव को आन लाइन उपलब्ध कराया जायेगाः–	(ख) जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आन लाइन प्राप्त आवेदन पत्रों पर निम्नांकित तिथियों के अनुसार मान्यता के आवेदन–पत्रों की सूची, जिसमें विद्यालय का नाम, आवेदित परीक्षा वर्ष तथा हाईस्कूल नवीन अथवा सीधे एवं इण्टर नवीन/वर्ग/विषय का उल्लेख हो, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय सचिव को आन लाइन उपलब्ध कराया जायेगाः–
(1) 15 मई तक प्राप्त आवेदन–पत्रों की सूची– 31 मई तक	(1) **15 अगस्त तक प्राप्त आवेदन–पत्रों की सूची– 30 अगस्त तक**
(2) 31 मई तक प्राप्त आवेदन–पत्रों (विलम्ब शुल्क सहित) की सूची– 10 जून तक	(2) **रिक्त।**
(3) आन लाइन प्राप्त मान्यता आवेदन पत्रों का आवेदन करने की तिथि के वरीयता क्रम में संस्था का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा तथा उसी क्रम में स्थलीय निरीक्षण आख्या परिषद के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	(3) आन लाइन प्राप्त मान्यता आवेदन पत्रों का आवेदन करने की तिथि के वरीयता क्रम में संस्था का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा तथा उसी क्रम में स्थलीय निरीक्षण आख्या परिषद के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
जाँच समिति द्वारा संस्था का स्थलीय निरीक्षण करने के पश्चात् जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आख्या एवं संस्तुति प्रेषित करने	जाँच समिति द्वारा संस्था का स्थलीय निरीक्षण करने के पश्चात् जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आख्या एवं संस्तुति प्रेषित करने की अन्तिम तिथि **30 सितम्बर।**

की अन्तिम तिथि 20 अगस्त। आन लाइन प्राप्त आवेदन पत्रों का जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा 15 जून तक परिषद विनियमों में मान्यता हेतु निर्धारित मानक/शर्तों के अनुसार परीक्षण किया जायेगा तथा आवेदित मान्यता में कोई कमी अथवा विसंगति पाये जाने पर सम्बन्धित संस्थाधिकारी को दिनांक 30 जून तक आन लाइन सूचित करेगा। संस्थाधिकारी द्वारा इंगित कमियों की पूर्ति विषयक आख्या दिनांक 31 जुलाई तक आन लाइन जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित करेगा। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उपर्युक्त निर्धारित समय सारिणी का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा।	आन लाइन प्राप्त आवेदन पत्रों का जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा **15 अगस्त तक** परिषद विनियमों में मान्यता हेतु निर्धारित मानक/शर्तों के अनुसार परीक्षण किया जायेगा तथा आवेदित मान्यता में कोई कमी अथवा विसंगति पाये जाने पर सम्बन्धित संस्थाधिकारी को दिनांक **30 अगस्त** तक आन लाइन सूचित करेगा। संस्थाधिकारी द्वारा इंगित कमियों की पूर्ति विषयक आख्या दिनांक **31 अगस्त** तक आन लाइन जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित करेगा। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उपर्युक्त निर्धारित समय सारिणी का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा।
4–(क) विनियम–3 के खण्ड (क) के अनुसार जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आन लाइन प्राप्त आवेदन पत्रों पर निम्नांकित समिति के माध्यम से संस्था की भूमि, भवन तथा भौतिक संसाधनों का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा:– (1) जिला विद्यालय निरीक्षक – अध्यक्ष (2) सम्बन्धित तहसील के उप जिलाधिकारी अथवा तहसीलदार – सदस्य (3) जनपद के राजकीय इण्टर कालेज अथवा राजकीय बालिका इण्टर कालेज के प्रधान – सदस्य (4) जिलाधिकारी द्वारा नामित अभियन्ता जो सहायक अभियन्ता स्तर से निम्न स्तर का न हो – सदस्य उक्त जांच समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण करने के पश्चात जिला विद्यालय निरीक्षक आवेदन पत्र पर मान्यता के लिये संस्था की उपयुक्तता के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि तक आन लाइन प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों पर अपनी आख्या एवं स्पष्ट संस्तुति करेगा और उसे परिषद के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय सचिव के पास आन लाइन प्रेषित करेगा, तथा उसकी एक प्रति (Hard copy) समस्त अभिलेखों सहित भी प्रेषित करेगा। आवेदन पत्र की एक प्रति(Hard copy) अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेगा। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रेषित निरीक्षण आख्या का परिषद के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मान्यता हेतु निर्धारित मानक/शर्तों के अधीन परीक्षण किया जायेगा	**4–(क)** विनियम–3 के खण्ड (क) के अनुसार जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आन लाइन प्राप्त आवेदन पत्रों पर निम्नांकित समिति के माध्यम से संस्था की भूमि, भवन तथा भौतिक संसाधनों का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा:– (1) जिला विद्यालय निरीक्षक – अध्यक्ष (2) सम्बन्धित तहसील के उप जिलाधिकारी अथवा तहसीलदार – सदस्य (3) जनपद के राजकीय इण्टर कालेज अथवा राजकीय बालिका इण्टर कालेज के प्रधान – सदस्य (4) जिलाधिकारी द्वारा नामित अभियन्ता जो सहायक अभियन्ता स्तर से निम्न स्तर का न हो – सदस्य उक्त जांच समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण करने के पश्चात जिला विद्यालय निरीक्षक आवेदन पत्र पर मान्यता के लिये संस्था की उपयुक्तता के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि तक आन लाइन प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों पर अपनी आख्या एवं स्पष्ट संस्तुति करेगा और उसे परिषद के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय सचिव के पास आन लाइन प्रेषित करेगा, तथा उसकी एक प्रति (Hard copy) समस्त अभिलेखों सहित भी प्रेषित करेगा। आवेदन पत्र की एक प्रति(Hard copy) अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेगा। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रेषित निरीक्षण आख्या का परिषद के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मान्यता हेतु निर्धारित मानक/शर्तों के अधीन परीक्षण किया जायेगा

	तथा आवेदित मान्यता में कोई कमी/विसंगति पाये जाने पर संस्थाधिकारी को दिनांक 15 सितम्बर तक आनलाइन/डाक द्वारा अवगत कराया जायेगा। संस्थाधिकारी परिषद द्वारा सूचित कमियों की पूर्ति विषयक आख्या दिनांक 30 सितम्बर तक आन लाइन/हार्ड कापी जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करेगे।		तथा आवेदित मान्यता में कोई कमी/विसंगति पाये जाने पर संस्थाधिकारी को दिनांक **15 अक्टूबर तक** आनलाइन/डाक द्वारा अवगत कराया जायेगा। संस्थाधिकारी परिषद द्वारा सूचित कमियों की पूर्ति विषयक आख्या दिनांक **30 अक्टूबर तक** आन लाइन/हार्ड कापी जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करेगे।
5(20) (अ)	जिला विद्यालय निरीक्षक 31 मई तक आनलाइन प्राप्त समस्त मान्यता आवेदन–पत्रों पर अपनी निरीक्षण आख्या परिषद के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को आनलाइन तथा (Hard copy) उसी वर्ष की 20 अगस्त तक प्राप्त करायेंगे। परिषद द्वारा प्रत्येक वर्ष के 30 नवम्बर तक मान्यता के समस्त प्रकरणों का निस्तारण प्रत्येक दशा में करा लिया जायेगा।	5(20) (अ)	जिला विद्यालय निरीक्षक **15 अगस्त तक** आनलाइन प्राप्त समस्त मान्यता आवेदन–पत्रों पर अपनी निरीक्षण आख्या परिषद के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को आनलाइन तथा (Hard copy) उसी वर्ष की **30 सितम्बर तक** प्राप्त करायेंगे। परिषद द्वारा प्रत्येक वर्ष के **31 दिसम्बर तक** मान्यता के समस्त प्रकरणों का निस्तारण प्रत्येक दशा में करा लिया जायेगा।

(भगवती सिंह)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः मा0शि0प0/परिषद–9/मान्यता/409–7 **दिनांक–30–07–2025**

उपर्युक्त विज्ञप्ति की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रदेश के समस्त दैनिक समाचार पत्र के सम्पदकों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विज्ञप्ति जनहित से सम्बन्धित है। अतएव इसे अपने दैनिक समाचार पत्र के समस्त संस्करणों में प्रमुख स्थान पर निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
2. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. शिक्षा निदेशक(मा0), उ0प्र0, शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
4. मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
5. मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
6. अपर सचिव, मा0शि0प0, क्षे0का0, मेरठ/बरेली/वाराणसी/प्रयागराज/गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से भी इसका व्यापक प्रचार–प्रसार कराने का कष्ट करें।
7. जिला विद्यालय निरीक्षक, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे भी अपने स्तर से उक्त विज्ञप्ति का व्यापक रूप से प्रसारित कराना सुनिश्चित करें।

(भगवती सिंह)
सचिव।